ईमेल

संख्या-R.F.183/नौ–9–2017–15 आरएफ/15

प्रेषक

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
गोरखपंरु।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषयः नगर निगम,गोरखपुर सीमान्तर्गत रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 19/ 2017/ आर एफ.18/नौ–9 – 2017–15आरएफ/15,दिनांक 03 जनवरी,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियंता(गंगा) उ0प्र0जल निगम,लखनऊ के पत्रांक–जी–121/022–0272/2016,दिनांक 06.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित परियोजना प्रॉक्कलन लागत रू0 20.32 करोड़ मूल्यॉकन हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसे प्रायोजना रचना एवं मूल्यॉकन प्रभाग रू0 1885.88 लाख की लागत पर मूल्यॉकित की गयी और परियोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों यथा–मार्बल स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, डेकोरेटिव पोल का प्राविधान लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च होने के कारण सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त नगर निगम,गोरखपुर सीमान्तर्गत स्थित रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण की पुनरीक्षित परियोजना हेतु रू0 1885.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. उक्त शासनादेश संख्या– 19/2017/आर एफ.18/नौ–9–2017–15 आरएफ /15,दिनांक 03 जनवरी,2017 के पृष्ठ–2 की शर्त संख्या–(13) में त्रुटिवश यह उल्लिखित है कि "स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो के लिये आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा," जबकि शासनादेश संख्या–आरएफ.192/ 9–9– 15– 15 आरएफ/15,दिनांक 11.03.2015 द्वारा रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 की शर्त संख्या–13 को निरसित करते हुये उक्त शर्त के स्थान पर " कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है" पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त,गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर।
2. जिलाधिकारी,गोरखपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक,सी0एण्ड डी0एस0,जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियंता(गंगा),उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता(गोरखपुर क्षे.)उ0प्र0जल निगम, गोरखपुर।
7. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।